

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत तूना बौठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 0.50 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- बरु

तहसील रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत तूना बौठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 0.50 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु (0.0875 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.1400 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.2275 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बरु द्वारा दिनांक 31/8/20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बरु के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षरित विकास अधिकारी
विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
जनपद रुद्रप्रयाग



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत तूना बौठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 0.50 किमी०

दिनांक 31/8/20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत वर्ह

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	दिनेश चन्द्र खेमवाल	दिनेश चन्द्र
2-	पुष्पा प्रसाद खेमवाल	पुष्पा
3-	विजय प्रसाद खेमवाल	विजय खेमवाल
4-	जगतन्ना प्रसाद - गौहिवाल	जगतन्ना
5-	कुशाला - गौहिवाल	वि. कुशाला
6-	सुदी प्रसाद - गौहिवाल	सुदी
7-	विनीत खेमवाल	विनीत
8-	अरुण कुमार खेमवाल	अरुण
9-	हरीश खेमवाल	हरीश
10-	विश्व प्रसाद खेमवाल	विश्व
11-	विरेन्द्र गौहिवाल	विरेन्द्र
12-	सुनील खेमवाल	सुनील
13-	विमल गौहिवाल	विमल
14-	नरेंद्र गौहिवाल	नरेंद्र
15-	लक्ष्मी प्रसाद	लक्ष्मी
16-	अरुण प्रसाद	अरुण
17-	राजेश चन्द्र खेमवाल	राजेश
18-	देवेंद्र प्रसाद	देवेंद्र
19-	महेश चन्द्र डिग्री	महेश
20-	अरविन्द खेमवाल	अरविन्द
21-	मनलक्ष्मी प्रसाद	मनलक्ष्मी
22-	शरदा गौहिवाल	शरदा

संलग्न है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
संलग्न
विकास खण्ड
जनपद रुद्रप्रयाग



H0/अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग)
ग्राम प्रधान

जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत तूना बौठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 0.50 किमी० के निर्माण हेतु जो नाप भूमि अर्जित की जानी है, उस हेतु हम नापभूमिधरों को कोई आपत्ति नहीं है तथा हम अपनी भूमि विभागीय दरों पर देने हेतु सहर्ष सहमत हैं।

हस्ताक्षर
राजस्व उपनिरीक्षक

“समझौता ज्ञापन”

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि तूना बौठा से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

आज दिनांक 31/08/2020 के बीच को निष्पादित किया गया है।

1. यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
2. यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण /मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है, उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के नाम किया जायेगा।
3. यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके अतिरिक्त स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अविलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

अधिशासी अभियन्ता

प्रा०ख० लो०नि०वि०

रुद्रप्रयाग

नाम भूमिधर

नाम-1 विशेश्वर दत्त

2 लालित प्रानाद

3 सुन्दर प्रकाश

4 विजय लाल

5.....

6.....

7.....

8.....

9.....

10.....

11.....

12.....

13.....

14.....

15.....

16.....

हस्ताक्षर

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ह० पटवारी / मोहर

समझौता ज्ञापन

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत तूना बौठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 0.50 किमी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी :- रुद्रप्रयाग जनपद रुद्रप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, रुद्रप्रयाग ।

उपखण्ड रुद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत तूना बौठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 0.50 किमी० (0.0875 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.1400 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.2275 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रुद्रप्रयाग) की दिनांक 02/12/2008 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ~~उप जिलाधिकारी~~ उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|--|---------------------------|--------------|
| 1- श्री उप जिलाधिकारी | उप जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- श्री उप प्रभागीय वनाधिकारी | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य / सचिव |
| 4- श्री बी०डी०सी० क्षेत्र | बी०डी०सी० क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत तूना बौठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 0.50 किमी० परियोजना हेतु 0.2275 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत तूना बौठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 0.50 किमी० परियोजना के निर्माण हेतु 0.2275 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील-रुद्रप्रयाग, जनपद रुद्रप्रयाग।

उप जिलाधिकारी
 रुद्रप्रयाग
 गजेन्द्र सिंह नेगी
 सदस्य क्षेत्र पंचायत व्याड गापली
 पि०ख०-अगस्त्यमुनि
 जनपद रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
 अगस्त्यमुनि

उप प्रभागीय वनाधिकारी
 जखोली उप वन प्रभाग
 रुद्रप्रयाग

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Manuj Goyal, I.A.S** District Magistrate **Rudraprayag** on date **30.12.2020** at time **4.00 PM** at **Rudraprayag** in which application claiming rights in Forest area measuring **0.2275 hect** for the **Construction of Toona Bauntha to Barsu Motor Road under Distt Sector (0.50 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated:..30.12.2020

Manuj Goyal (I.A.S.)
District Magistrate-cum
Chairman, District Level
Committe, Rudraprayag

FORM-1**(for linear projects)****Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag**

No---75

Dated-26.03.2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.2275 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Toona Bauntha to Barsu Motor road under Distt Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Barsu (Punar)** village (s) in **Rudraprayag** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Manuj Goyal (I.A.S.)

(Full name and official seal of the District Collector)